ISSN : **2583-3189 (E), 2583-0775 (P)**
Year-04, Volume-04, Issue-02

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

झारखंड के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की चुनौतियाँ और संभावनाओं का स्थानिक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
ज्योति कुमारी
शोधार्थी, भूगोल विभाग
आईसेक्ट विश्वविद्यालय
हजारीबाग, झारखंड, भारत

शोध सार

महिला सशक्तिकरण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आयामों–सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी, पारिवारि, पारस्परिक और मनोवैज्ञानिक शामिल है। महिला सशक्तिकरण कमजोर वर्गों की महिलाओं गरीब, हाशिये पर रहने वाली, पिछड़ी महिलाएँ विशेषकर आदिवासी महिलाएँ को सशक्त बनाने और सक्षम बनाने के रूप में समझा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की भागीदारी उसके जीवन के निर्णय लेने और विकास से है। आदिवासी समाज में महिलाएँ अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भूमिका निभाती हैं। आदिवासी समाज में लड़कियों और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। एक आर्थिक संपत्ति के रूप में आदिवासी समुदाय की महिलाएं गैर–आदिवासी महिलाओं की तुलना में अधिक आनंद उठाती हैं। आदिवासी महिलाएं आर्थिक बोझ को साझा करने के साथ–साथ परिवार और समाज के हर फैसले में समान रूप से भाग लेती हैं। इस आधार पर आदिवासी महिलाएं हैं अपने समकक्षों से अधिक सशक्त हैं। भौतिकवादी विकास की दृष्टि से आदिवासी महिलाएँ आज भी शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर से वंचित हैं। यह शोध पत्र विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और रणनीतियों पर चर्चा करना है जिस पर वे चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए विचार कर सकें। अध्ययन से पता चलता है कि कम साक्षरता दर, शिक्षा की कमी और नई तकनीक के बारे में ज्ञान, संपत्ति के अधिकारों की कमी, कौशल और प्रशिक्षण की कमी, राजनीतिक भागीदारी की कमी आदि संसाधनों और प्रजनन अधिकारों पर पुरुषों का नियंत्रण आदिवासी महिलाओं के अशक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है। सरकार (केंद्र और राज्य) ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं।

मुख्य शब्द

आदिवासी, महिला, सशक्तिकरण, आर्थिक, सामाजिक.

परिचय

'सशक्तीकरण' शब्द का प्रयोग समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में विशेषकर हाशिये पर मौजूद लोगों की जमीनी स्तर पर भागीदारी की वकालत करने के लिए किया जाता है। सशक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्ति और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक ताकत को बढ़ाना है। महिलाओं के

सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जहां वे शक्ति के संबंध को चुनौती दे सकती हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकती हैं। सशक्तिकरण को एक सामाजिक वातावरण बनाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति निर्णय ले सकता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विकल्प चुन सकता है। विश्व बैंक ने सशक्तिकरण को 'पसंद और कार्रवाई की स्वतंत्रता के विस्तार' के रूप में परिभाषित किया है। कबीर (2001) के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ है ''ऐसे संदर्भ में जीवन के लिए रणनीतियाँ चुनने की लोगों की क्षमता का विस्तार जहाँ उन्हें पहले इस क्षमता से वंचित रखा गया था।''[1], एक अवधारणा के रूप में महिला सशक्तिकरण को 1985 में नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पेश किया गया था, जिसने इसे महिलाओं के पक्ष में सामाजिक शक्ति के पुनर्वितरण और संसाधनों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया था। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है।[2], संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1975 को महिला वर्ष तथा 1975–85 के दशक को महिला दशक घोषित किया था।

राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, "एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना एक पूर्व–आवश्यकता है, जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो स्थिरता वाले समाज का आश्वासन मिलता है। महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनकी सोच और मूल्य प्रणाली से एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है।

महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्रीय विकास कोष (यूनिफेम) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण शब्द का अर्थ हैः

- ➢ लिंग संबंध और उन तरीकों के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करना जिनसे ये संबंध बदल सकते हैं।
- ➢ आत्म–मूल्य की भावना विकसित करना, वांछित परिवर्तन सुरक्षित करने की क्षमता में विश्वास और अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार विकसित करना।
- ➢ विकल्प उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त करने से सौदेबाजी की शक्ति का अभ्यास होता है।
- ➢ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा को संगठित करने और प्रभावित करने की क्षमता विकसित करना।

सशक्तिकरण एक बहु–आयामी सामाजिक प्रक्रिया है जो लोगों को उन मुद्दों पर कार्य करके अपने जीवन और अपने समाज पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करती है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। सशक्तिकरण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र और व्यक्तिगत, समूह और समुदाय जैसे विभिन्न स्तरों पर और यथास्थिति, विषम शक्ति संबंधों और सामाजिक गतिशीलता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है (शीतल शर्मा, 2006)। सशक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्ति की मनःस्थिति और दृष्टिकोण से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदायों के लोग अपने स्वयं के जीवन और निर्णयों पर अपना नियंत्रण या स्वामित्व बढ़ाते हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गई थी जिसका लक्ष्य महिलाओं को एक वातावरण, मौलिक स्वतंत्रता, भागीदारी तक समान पहुंच, निर्णय लेने और कानूनी सुरक्षा प्रदान करके उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार करने पर विचार किया गया ताकि इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नुस्खे शामिल हैंः

- ➢ कानूनी–न्यायिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाया जाएगा।
- ➢ सत्ता की साझेदारी में महिलाओं की समानता और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी, ताकि महिलाओं को

विकास प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

- सभी विकास प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिभागियों और प्राप्तकर्ताओं के रूप में महिलाओं के दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रणाली स्थापित की जाएंगी।

साहित्यक समीक्षा

कई अध्ययनों ने आदिवासी समाज में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। अध्ययन के लिए साहित्य की समीक्षा में वर्तमान अध्ययन की प्रासंगिकता दिखाने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं और व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों का जिक्र किया गया है।

आर.दशोरा (1995) ''आदिवासी बालिकाओं की स्थिति'' सामाजिक–आर्थिक का वर्णन करती है भारत में आदिवासियों के बीच लड़कियों के लिए स्थितियाँ। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 46 का हवाला दिया जो प्रावधान करता है अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए शिक्षा और आर्थिक मामलों में विशेष देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्याय और शोषण उन्होंने बताया है कि आदिवासी लड़कियों को पौष्टिक भोजन और उचित स्वास्थ्य देखभाल से वंचित किया जाता है।

ब्लूम (2001) अपने अध्ययन 'महिलाओं की स्वायत्तता के आयाम और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव' में उत्तर भारतीय शहर में देखभाल उपयोगिता कुछ दिलचस्प खोज के साथ आती है कि शिक्षा महिलाओं को मदद करती है आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्त करें। इसके अलावा, ऐसे अध्ययन भी हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध ा है महिला शिक्षा और महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति का उच्च दर्जा प्राप्त है।

गुओ एट अल मित्रा (2007) ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में, मुख्य धारा के हिंदुओं की तुलना में भारत में अनुसूचित जनजातियों के बीच महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है। अध्ययन से पता चलता है कि आदिवासी महिलाओं को उनके समुदाय में उच्च दर्जा प्राप्त है और आदिवासी समुदायों में लिंग भेदभाव बिल्कुल नहीं है।

भसीन (2007) ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों यानी लद्दाख, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं के बारे में अपना अध्ययन किया है और उन्होंने पाया कि आदिवासी समुदायों में आदिवासी महिलाओं का बहुत महत्व है। जनजातीय समुदाय लड़कियों के जन्म को अभिशाप नहीं मानते। दहेज प्रथा नहीं है और लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार है, तलाक आसान और सुरक्षित है। महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पुरुष समकक्षों के साथ मिलकर संयुक्त निर्णय लेती हैं। महिला शक्ति का विस्तार सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र तक नहीं है। उनकी आर्थिक शक्ति संबंधित सामुदायिक प्राधिकार में परिवर्तित नहीं होती है। महिलाओं का वर्चस्व घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित है और आधिकारिक स्तर पर उचित श्रेय और महत्व नहीं दिया जाता है। सार्वजनिक मामलों और सामुदायिक निर्णय लेने में महिलाओं का गौण महत्व है।

महारत्न, 2005 आदिवासी समुदायों की आंतरिक शक्ति के लिए भी जो उन्हें जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। साक्षरता और शिक्षा भारत में पिछड़े समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास का शक्तिशाली साधन हैं। साक्षरता और शिक्षा के मामले में आदिवासी न केवल सामान्य आबादी बल्कि अनुसूचित जाति की आबादी से भी पीछे हैं। यह असमानता अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बीच और भी उल्लेखनीय है, जिनकी साक्षरता दर देश में सबसे कम है।

बर्मा (2012) ने शैक्षिक विश्लेषण किया ओडिशा में आदिवासी महिलाओं का सशक्तीकरण और देखा गया कि आदिवासी महिला शिक्षा को एक माना जाता था राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधि। शोधकर्ता ने बताया कि आदिवासी महिला शिक्षा ने बेहतर निर्माण किया है अध्ययन क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के लिए रोजगार, स्थान,

आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान। शोधकर्ता सुझाव दिया कि आदिवासी शिक्षा को आदिवासी महिला शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

पूजाश्री चटर्जी मिदनापुर (2014) ने ''भारत में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और चुनौतियाँ'' पर अपने काम में आगे की राह में बताया गया कि, आदिवासियों के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों के बावजूद, यह एक है कड़वी हकीकत यह है कि आदिवासी महिलाएं आज भी कई मामलों में पिछड़ी हुई हैं और उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है चुनौतियाँ। इसने भारत में जनजातीय विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों का स्तर निम्न है पिछड़ापन, साक्षरता का निम्न स्तर, ख़राब स्वास्थ्य स्थितियाँ इसे आदिवासियों की व्यवस्थित प्रक्रिया के लिए विकास को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

रानू मजूमदार और डॉ. देब प्रसाद सिकदर (2017) ''आदिवासी की भागीदारी'' विषय पर उनके कार्य में भारत में उच्च शिक्षा में महिलाएं ने आदिवासी लड़कियों की चुनौतियों से संबंधित लेखों की समीक्षा की और पाया उन्हें जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, जो आजकल माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं आशा है कि यदि उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी तो उनकी स्थिति में सुधार होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझना।
2. झारखंड में आदिवासी महिलाओं की संख्या और स्थिति का विश्लेषण करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना।
4. समस्याओं की पहचान करना और महिला सशक्तिकरण की राह में चुनौतियों को ज्ञात करना।

विधि

इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक विधि अपनाई जाएगी। शोध डिजाइन का उद्देश्य डेटा के द्वितीयक स्रोतों के आधार पर वर्तमान अध्ययन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की समस्याओं और जांच के तहत अन्य इकाइयों जैसे सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और नई जानकारी का वर्णन करना है। अनुसंधान की प्रकृति खोजपूर्ण है और इसे भारत की 2011 की जनगणना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, (2013–14), पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों और वेबसाइटों से एकत्र किया जायेगा।

झारखंड राज्य का जनसांख्यिकी अध्ययन

झारखंड (जंगल की भूमि) पूर्वी भारत में एक राज्य है, जिसे 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, जो पहले बिहार का दक्षिणी भाग था। यह राज्य उत्तर में बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपनी सीमा साझा करता है। उत्तरपश्चिम, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किमी (30,778 वर्ग मील) है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका इसकी उप राजधानी है। राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ और रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। वर्तमान में, झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है।

चित्र 1: जिले को दर्शाने वाला झारखंड का मानचित्र

(***Source:****https://www-researchgate-net/figure/Study&area&map&of&Jharkhand&state&India_fig1_350770255)*

झारखंड राज्य खनिजों से समृद्ध है और प्राकृतिक संसाधनों से भारत के खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। नीचे दी गई तालिका कुछ प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक और भारत के साथ उनकी तुलना

देती है:

तालिका 1

क्र.सं.	संकेतक	लाख/स्के. में. किमी	
		झारखंड	भारत
01.	भौगोलिक क्षेत्र	3.42	32.87
02.	जनसंख्या	32,988,134	1,210,854,977
03.	एसटी जनसंख्या	26.30	8.4
04.	पुरुष	16,930,315	623,724,248
05.	महिला	16,057,819	586,469,174
06.	एस. टी. पुरुष	4,315,407	52,547,215
07.	एस.टी. महिला	4,329,635	51,998,501
08.	लिंग अनुपात (महिला/1000 पुरुष)	949	940
09.	घनत्व जनसंख्या/वर्ग कि.मी.	414	382
10.	साक्षरता दर	66.41	74.04
11.	पुरुष साक्षरता दर	76.84	82.14
12.	महिला साक्षरता दर	55.42	65.46
13.	जन्म दर	23.70	22.50
14.	मृत्यु दृसंख्या	6.10	7.3
15.	दशकीय विकास दर (प्रतिशत)	22.42	17.64

(स्रोतः भारत की जनगणना, 2011)

झारखण्ड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 वर्ग किमी है। झारखंड की जनसंख्या 32.98 मिलियन है, जिसमें 16.93 मिलियन पुरुष और 16.05 मिलियन महिलाएं हैं। लिंग अनुपात1,000 पुरुषोंपर 949 महिलाएं हैं। राज्य की साक्षरता दर 66.41 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरतादर 76.84 प्रतिशत है और महिला साक्षरता 55.42 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय साक्षरता दर (65.46 प्रतिशत) से कम है। 2011 में झारखंड की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या एक चौथाई (26.30) थी। राज्य देश में ओडिशा के बाद दूसरी सबसे बड़ी एसटी (8.6 प्रतिशत) आबादी वाला राज्य है। राज्य की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः (23.70 प्रतिशत) एवं 6.10 प्रतिशत) है। दशकीय वृद्धि दर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक (22.42 प्रतिशत) है और राज्य की जनसंख्या का घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

झारखंड में 32 जनजातियाँ (2011) हैं जिनमें असुर, बैगा, बंजारा, बथुडी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिक बड़ाईक, गोंड, गोराईत, हो, करमाली, खरिया, खरिया, खरवार, खोंड, किसान शामिल हैं। कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, मुंडा, माल पहाड़िया, उराँव, परहैया, सौरिया पहाड़िया, संथाल, सावर, भूमिज, कोल, कंवर। राज्य का गरीबी अनुपात 39.1 प्रतिशत है और उच्च आय असमानता है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच व्यापक अंतर है।

झारखंड में आदिवासी महिला का वर्तमान स्थिति

आदिवासी समुदाय में एक आदिवासी महिला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिवासी महिलाएं पुरुषों के बराबर स्थान रखती हैं, रीति–रिवाजों और परंपरा के अनुसार उनके पास अधिकार के साथ–साथ दायित्व भी हैं, हालांकि उनका अपने समकक्षों की तुलना में निचला स्थान है, लेकिन गैर–आदिवासी महिलाओं की तुलना में उनका स्थान ऊंचा है। एक आदिवासी लड़की अपनी पसंद से अपना साथी चुन सकती है और आदिवासी समुदाय में कोई दहेज प्रथा नहीं है बल्कि दुल्हन की कीमत है। आदिवासी समाज में काम का बंटवारा स्त्री और पुरुष के बीच होता है लेकिन यह व्यवस्था हीनता पर नहीं बल्कि सुविधा और औचित्य पर आधारित होती है। जनजातीय समुदाय लड़कियों के जन्म को अभिशाप नहीं मानते। वे सभी कृषि कार्यों (जुताई को छोड़कर) में भाग लेते हैं।

आदिवासी समुदाय में महिलाओं को शादी से पहले और बाद में काफी आजादी मिलती है। पत्नी अपने पति को क्रूरता, नपुंसकता, अक्षमता, गरीबी, बेवफाई या लापरवाही के आधार पर तलाक दे सकती है। आदिवासी महिलाएँ अपने पति को सूचित किए बिना अपने पति का घर छोड़ सकती हैं। हालाँकि उसे अपना जीवन साथी चुनने और वैवाहिक बंधन तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की पूरी आजादी है। आदिवासी महिलाओं को आवाजाही की उच्च स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि वे अपने कृषि और वन उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय बाजार (हाट) जाती हैं और आवश्यक घरेलू सामान और अपनी पसंद की वस्तुएं जैसे कपड़े, चूड़ियां आदि खरीदती हैं। उनके पास पूरे गांव के साथ सामुदायिक मनोरंजन है। भाग लेते हैं और पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां सभी समान स्तर पर भाग लेते हैं। वे एक–दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से गाते हैं और नृत्य करते हैं और विशेष रूप से विवाह के अवसर पर और सरहुल, करमा, सोहोराई, बाहा, होली, टुशू, जतरा, जितिया, दशहरा आदि जैसे त्योहारों पर हंसी–मजाक करते हैं। केवल धार्मिक प्रथाओं से जुड़े जनजातीय अनुष्ठानों में ही पुरुषों को महिलाओं की तुलना में प्राथमिकता मिलती है। हालाँकि आदिवासी महिलाएँ अपने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन उन्हें ग्राम परिषद में पद संभालने और परिषद की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वे परिवार और घर में निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज उठा सकते हैं लेकिन समुदाय से संबंधित मामलों में उनकी कोई सीधी बात नहीं है। वे अपने पति और अन्य पुरुषों के माध्यम से ग्राम सभा तक अपनी राय पहुंचा सकती हैं।13, आदिवासी महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और परिवार और सामाजिक क्षेत्र में पुरुष साथी की समान स्थिति दोनों के कारण अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त है। महिलाओं के पास अपने परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की अधिक शक्ति होती है। वह बच्चों के पालन–पोषण और विवाह से संबंधित निर्णय लेती है।

हालाँकि, भौतिकवादी विकास के दृष्टिकोण से, आदिवासी महिलाएँ अभी भी शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर से वंचित हैं। आदिवासियों और खासकर आदिवासी महिलाओं के मामले में साक्षरता दर काफी कम है और यह आदिवासियों के बीच खराब पोषण और स्वास्थ्य स्थिति से भी जुड़ा है। आदिवासी महिलाएं अपने घर, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, संसाधनों और फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी और फसल कटाई के बाद के कार्यों सहित कृषि विकास के सह–प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं लेकिन पारंपरिक मूल्यों, अशिक्षा, अंधविश्वासों के कारण वे पिछड़ी हुई हैं, और निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका, सामाजिक बुराइयाँ और कई अन्य सांस्कृतिक कारक।14, पर्यावरण क्षरण और विस्थापन के कारण आदिवासी महिलाओं को स्थायी आजीविका और सभ्य जीवन पाने में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर उन्मुख कार्यक्रमों से उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। हालाँकि, लिंगानुपात, कार्य भागीदारी, सामाजिक जीवन, शैक्षिक स्तर और उत्पादकता के मामले में विभिन्न क्षेत्रों और जनजातियों में व्यापक भिन्नता है।

तालिका 2: झारखंड में एस.टी. की साक्षरता दर का वितरण भारत की जनगणना 2011 के अनुसार

(प्रतिशत में)

साक्षरता दर	कुल एस. टी.	उरांव	खारिया	मुंडा	भूमिज	हो	लोहरा	संथाल	खरवार
पुरूष	40.7	52.5	51.0	47.9	41.5	39.2	38.9	33.4	29.6
महिला	27.2	27.2	40.8	42.2	34.9	24.0	23.9	19.5	13.9

(स्रोतः भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय)

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ

हालाँकि आदिवासी महिलाएँ कृषि और अर्थव्यवस्था तथा बड़े पैमाने पर समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी उपायों के बावजूद, आदिवासी महिलाओं को विभिन्न कारणों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आदिवासी महिलाओं को जिन मुख्य समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे कुछ हद तक आज भी मौजूद हैः

- **निम्न साक्षरता स्तरः** आदिवासी महिलाओं की साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर निम्न है। शिक्षा प्रणाली, स्कूली पाठ्यक्रम उनमें अधिक रुचि पैदा नहीं करते।
- **व्यापक गरीबीः** जनजातियाँ आर्थिक रूप से गरीब हैं क्योंकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से खेती, शिकार, भोजन एकत्रण, पशुचारण और जंगल पर निर्भर हैं।
- **अपर्याप्त नौकरी के अवसरः** आदिवासी महिलाएँ अपनी आजीविका के लिए कृषि या पारंपरिक और गैर–लाभकारी विभिन्न रोग. गरीबी और अशिक्षा चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में बाधाएँ पैदा करती है।
- **अपर्याप्त परिवहन सुविधाएंः** अधिकतर आदिवासी ग्रामीण, पहाड़ी, पहाड़ और आंतरिक क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ परिवहन और संचार सुविधाओं की कमी है जिसके कारण उन्हें अलग–थलग रहना पड़ता है।
- **कोई भूमि अधिकार नहींः** पितृसत्तात्मक जनजातीय समुदाय में, जनजातीय महिलाओं को अपनी भूमि पर अधिकार नहीं है और कानूनी रूप से उन अधिकारों से प्रतिबंधित किया गया है जो लैंगिक असमानताएं पैदा करते हैं।
- **सूचना एवं संचार सुविधाओं की पहुंच का अभावः** आदिवासी महिलाओं को तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया का अपर्याप्त अनुभव होता है और वे पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर रहती हैं, जो उनकी दक्षता और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं।

आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके

- **निर्णय लेने में भागीदारीः** निर्णय लेने, मतदान करने, राजनीति में, कार्यालय चलाने, निर्वाचित होने का उचित मौका देने, घर, स्कूल, समुदाय, राष्ट्रीय स्तर आदि में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी।
- **अच्छी शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध करायेंः** महिलाओं को सशक्त बनाने में आमतौर पर उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर देना शामिल होता है।
- **समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तनः** महिलाओं को अपने प्रति और अपने सशक्तिकरण के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी। उन्हें अपनी कमजोर, आश्रित, निष्क्रिय छवि को बदलने का प्रयास करना चाहिए और सक्रिय और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पाठ्यक्रमः** भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी और उस पर निर्भर है। आदिवासी महिलाएं कृषि गतिविधियों में काम कर रही हैं। अतः कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण एवं कौशल द्वारा उनकी दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
- **कानूनों का कार्यान्वयनः** आदिवासी महिलाएँ कृषि, निर्माण, ईंट–भट्ठा, घरेलू नौकरानी आदि और असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में लगी हुई हैं, सरकार को उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाना चाहिए।
- **जागरूकता अभियानः** ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के बारे में कार्यशालाएँ, सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
- **विपणन सुविधाएं प्रदान करनाः** सरकार को उनकी कृषि, वन उपज, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना चाहिए।
- **स्वामित्व अधिकारः** आदिवासी महिलाओं को भूमि, पशुधन, उत्पादक स्वामित्व और अन्य संसाधनों जैसे संसाधनों पर नियंत्रण की आवश्यकता है।
- **वित्तीय सहायताः** स्वयं और अपने परिवार के लिए आय उत्पन्न करने के लिए आदिवासी महिलाओं को स्व–रोजगार के लिए छोटे ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ

लोकतांत्रिक नीति के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजना और कार्यक्रम का उद्देश्य कई क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) के बाद से महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने में महिलाओं के मुद्दों के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1993) में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हुए महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार की योजनाएं

- **मुख्यमंत्री सुकन्या योजनाः** झारखंड सरकार 1 जनवरी, 2019 से लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सभी लड़कियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से 30,000/– (जन्म के समय 5000 रुपये)। यदि लड़कियां 20 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहती हैं, तो लड़कियों को अतिरिक्त रुपये मिलेंगे। 10,000/– की सहायता.इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना, पोषण की कमी और बाल विवाह पर अंकुश लगाना है और इस योजना से लगभग 36.57 लाख परिवारों की लड़कियों को लाभ होगा। सरकारी, गैर सरकारी. पंचायती राज की संस्थाएँ और संस्थाएँ समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समन्वय में काम करती हैं।
- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः** इस योजना के तहत राज्य सरकार उन गरीब लोगों को उनकी बेटी की शादी में सहायता करेगी जो शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते। राज्य सरकार रुपये की सहायता प्रदान करती है। लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने और गरीब पिता पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए प्रत्येक लड़की लाभार्थियों को 30,000/– रु.।
- **मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाः** इस योजना के तहत सरकार. गरीब भूखे लोगों को रुपये में भोजन उपलब्ध कराता है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने और महिलाओं और बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए 10/– रु.।
- **पीटीजी डाकिया योजनाः** आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के लिए मुफ्त चावल योजना–इस योजना के तहत हर महीने 35 किलो का मुफ्त चावल (खाद्यान्न) पैकेट घर–घर जाकर उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना गोड्डा, साहेबगंज, दुमका और पलामू जिले में काम कर रही है।
- **तेजस्विनी योजनाः** किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण (AGYW) इस योजना के तहत 14 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को विश्व बैंक की मदद से मजबूत किया जाएगा। लड़कियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। परियोजना का उद्देश्य किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं (एजीवाईडब्ल्यू) को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि उन्हें बाजार–संचालित जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके (लड़कियों को अधिकारों और सुरक्षा, विकास कार्यक्रमों और योजनाओं, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जानकारी देकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सुनिश्चित किया जा सके। (लड़कियों का होना), वित्तीय साक्षरता (उद्यमिता) और शिक्षा।
- **महिला उद्यमियों के लिए निःशुल्क मोबाइल योजनाः** इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को मुफ्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा. योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

- **उद्यमाई सखी मंडल योजनाः** इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 15 महिलाओं का एक समूह लघु उद्योग स्थापित कर सकता है जिससे उनकी वार्षिक आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।
- **झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (आशा)ः** यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 29 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय संसाधनों से संबंधित स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे जिसमें कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वन उपज, उद्यमिता शामिल है। इस योजना से राज्य की 17 लाख ग्रामीण महिलाएं जुड़ेंगी।

निष्कर्ष

आदिवासी महिलाओं को सभी प्रकार के शोषण से बचने के लिए उनके बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून और कल्याणकारी उपायों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के बीच वयस्क शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के लिए कदम उठाए जाने हैं। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार ने लिंग, शिक्षा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद आदिवासी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन शिक्षा, व्यावसायिकता की कमी के कारण शायद ही कुछ ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं इस अवसर का लाभ उठा पाती हैं। प्रशिक्षण, उद्यमिता के साथ–साथ सरकार और समाज से प्रोत्साहन की कमी। वास्तविकता और अपेक्षा के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। गरीबी और बेरोजगारी अन्य प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, आदिवासी महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं जब वे शिक्षित हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित महसूस करें।महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और उन्हें अपने जीवन के वित्तीय निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो, इसके लिए कई सामाजिक और आर्थिक उपाय किए जाएं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और संशोधन किए गए हैं और भारत के संविधान में लैंगिक समानता निहित है जो राज्य को महिलाओं के खिलाफ लिंग–आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। सशक्त महिला सशक्तिकरण की वास्तविक क्षमता को पूरा करने के लिए, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी निर्णय लेने की भूमिका, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, मीडिया के संपर्क, अधिक गतिशीलता में सुधार के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब उन्हें आय और संपत्ति से संपन्न किया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बनें और समाज में अपनी पहचान बनाएं। झारखंड में आदिवासी महिलाओं को गैर–आदिवासी महिलाओं के बराबर दर्जा प्राप्त है। भले ही वे पूरी तरह से सशक्त नहीं हैं और अभी भी सशक्त होने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रोजगार और अवसरों तक पहुंच बहुत तेज गति से बढ़ानी होगी।

संदर्भ सूची

1. आईपीसीसी (2007) जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल, जिनेवा, स्विट्जरलैंड की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट।
2. वदूद और कुमारी, पी. (2008) कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आईएसपीआरएस, अभिलेखागार XXXVIII-8/W3
3. चक्रवर्ती, पी .जी. (2015) *जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट,* ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस।

4. क्रिश्चियन, डब्ल्यू. (2010) *जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा, वैश्विक चुनौतियों का एक संग्रह,* प्रेजर, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, एशियाई।

5. कबीर, एन. (2001) संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियांः महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार, SIDA में, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा, सिद्धांत और अभ्यास, प्रेजर, कल्पज़ प्रकाशन, नई दिल्ली।

6. सिंह, उमेश प्रताप एवं गर्ग राजेश कुमार (2005) *महिला सशक्तिकरण–* विभिन्न मुद्दे, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पुनः प्रकाशन 2012।

7. चक्रवर्ती, सौमित्रो; कुमार, अनंत और झा, अमर नाथ (2008) *भारत में महिला सशक्तिकरणः मुद्दे,* पालिका प्रकाशन, प्रेमकुंज, नई दिल्ली।

8. चौधरी, एस.एन. (2015) *आदिवासी महिलाएं कल आज और कल,* नई दिल्ली, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।

9. ग्यारहवीं योजना के लिए महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह की रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

10. भारत में अनुसूचित जनजातियों की सांख्यिकीय प्रोफाइल, मंत्रालयजनजातीय कार्य विभाग, सांख्यिकी प्रभाग, भारत सरकार।

11. भारत सरकार की जनगणना 2011।

12. डेटा हाइलाइट्सः अनुसूचित जनजातियाँ, भारत की जनगणना, 2011।

13. भारतीय महिलाओं की बदलती स्थिति 1977।

14. भारत की जनगणना, 2011

——==00==——